<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 12/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 11.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना करण्ड़ा एवं स्वॉट टीम की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्जनपदीय शातिर गौतस्कर, 25000/- रू0 का ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार। कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 10/11.05.2025 की मध्य रात्रि को प्रभारी निरीक्षक करण्डा मय पुलिस टीम व स्वॅाट प्रभारी मय टीम द्वारा थाना करण्डा से संबंधित एक मुकदमे के वांछित की तलाश में आरी पहाड़पुर पुलिया की तरफ मौजूद थे, इसी क्रम में चौकी प्रभारी खिजिरपुर एवं चौकी प्रभारी बड़सरा मय टीम द्वारा ग्राम जमुआंव के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया जो संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसे चौकी प्रभारी खिदिरपुर, व पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो जिस पर उक्त व्यक्ति द्वारा रुकने के बजाय असलहा लहराते हुए तेजी से आगे बढ़ गया जिसकी सूचना तत्काल जनपद नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) व प्रभारी निरीक्षक करण्ड़ा व स्वाट टीम को भी सूचित किया गया जिस पर संयुक्त टीम द्वारा उक्त बदमाश को बड़सरा बाईपास बहद ग्राम बड़सरा के पास घेर लिया गया अपने आप को दोनों तरफ से घिरा हुआ देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्यवाही की गई तो जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लगी और वह घायल हो गया जिसे उपचार हेतु नजदीकी सीएचसी भेजा गया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक उर्फ गोलू यादव बताया जो की ₹25000 का इनामिया है, जो गौतस्करी में संलिप्त है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजीपुर एवं अन्य जनपदों में कई अन्य आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

<u>घायल /गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र अशोक यादव निवासी कोटिया धरम्मरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 76/2025 धारा 109(1),351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
2.मु0अ0सं0 06/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
3.मु0अ0सं0 254/2021 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
4.मु0अ0सं0 15/2022 धारा 120बी भा0द0वि0 व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
5.मु0अ0सं0 25/2020 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
6.मु0अ0सं0 30/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर
7.मु0अ0सं0 122/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना दिलदारनगर गाजीपुर
8.मु0अ0सं0 334/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
9.मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

बरामदगी -

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद अपाचे मो0सा0 RTR बिना नम्बर प्लेट

02. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र पर लूट की घटना कारित करने वाले 02 नफर शातिर लूटेरे गिरफ्तार व उनके कब्जे से लूटे गये रुपयो में से 30050 रुपये नगद 01 अदद स्वाइप मशीन, 01 अदद केवाईसी मशीन , 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर की बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर दिनांक 06.05.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 128/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस के अभियुक्तगण मठसरैया गाँव के नहर पुलिया के पास बैठकर घटना से प्राप्त माल को बाँट रहे है शीघ्रता किया जाए तो पकड़ा जा सकता है उक्त सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस बल की टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर आज दिनांक आज 11.05.2025 को मठसरैया गाँव के नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके पास मौके से लूटे गये रुपयो में से 30050 रुपये नगद एक अदद स्वाइप मनीश, 01 अदद केवाईसी मशीन , 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद चोरी की मो0सा0 बिना नम्बर की बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1 . शिवा विश्वकर्मा उर्फ पुल्लु पुत्र संतोष विश्वकर्मा निवासी ग्राम घोघवा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र- 29 वर्ष

2 . बृजेश विश्वकर्मा उर्फ चिरंजीव पुत्र स्व0 सत्य नारायण विश्वकर्मा निवासी ग्राम कुसुम्ही थाना चन्दवक जौनपुर उम्र 27 वर्ष

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1 . मु0अ0सं0 128/2025 धारा 309(6)/317(2)BNS व 3/25 आयुध अधि0 थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगीः-</u>

लूटे गये रुपयो में से 30050 रुपये नगद एक अदद स्वाइप मनीश, 01 अदद केवाईसी मशीन , 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,व, व 01 अदद चोरी की मो0सा0 बिना नम्बर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर